

फत अहकाम

(नियम 26)

जान अर्थात्त ३५५०९ आधिकारी सिकराय
 सरकार बनाम कालूराम / संजा
 किरम मुकदमा १२ मु० नं० ३३/२२

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुकम की तामील
 में जारी हुए

7.4.22 पार्षना पत्र अधिवक्ता श्री शिवचरण शर्मा द्वारा
 पेश/दखल कर बखली की जाये/ वाम्ने इन्जाल
 लगील कि 8.4.22 को पेश हो

8.4.22 पत्रावली पेश/ वकील डॉ. पी. उमा के विलेन की
 और से एडवोकेट शर्मा ने बखली की/ वाम्ने
 कोर्ट कि 18.4.22 को पेश हो

18.4.22 पत्रावली पेश/ उद्योग पत्र की विलेन पर गौर किया
 गया। मूल वाद सं. 109/19 भूभा. 18 वला के
 दि. 4.3.22 का सक्षय परिवारी से विरुद्ध की स्टेटस
 पर होने पर गोसुल के वारिसान द्वारा दि. 21.3.22
 को अपनी भूमी का बेयनामा ममता देवी के नाम
 करवा दिया है उक्त बेयनामे से ~~ममता देवी~~
 multiplicity of suits की सुरक्षावना कट
 गयी है। अतः मूल वाद के निर्णय तक T.I.
 पार्षना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित भूमी के
 रिजिस्ट्रार ऑफिस की यथास्थिति की अस्थावली
 निवेदावली जारी की जाती है।
 पत्रावली फिसल शुमार हो।

(Signature)
 (रजिस्ट्रार ऑफिस)
 18.4.22